

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 370 / 2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 05.11.2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### **बनाम**

लखपति सिंह उर्फ लालबाबा भदौरिया पुत्र  
भजनसिंह भदौरिया उम्र 72 वर्ष। निवासी सिरसी  
थाना अमायन जिला भिण्ड म0प्र0, हाल निवासी  
ग्राम सिंगवई थाना मालनपुर जिला भिण्ड  
म0प्र0।

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 23-08-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 376(2)(आई)(जे)(एन) भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 30.05.2015 के 01:15 बजे दिन या उसके करीब ग्राम सिंगवारी में अपने कमरे में फरियादिया/अभियुक्ती जिसकी कि उम्र 7 वर्ष की होकर नावालिग है जो कि सहमति देने में सक्षम नहीं है के साथ बलात्कार किया एवं उपरोक्त दिनांक व उसके करीब उक्त नावालिग स्त्री के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला एवं गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.06.2015 को ग्राम सिंगवाई निवासी ग्रीसा पत्नी रामकुमार के द्वारा पुलिस थाना मालनपुर में अपनी नावालिग लडकी/पीडिता के साथ आरोपी के द्वारा छेड़छाड़ी करने के संबंध में लेखीय आवेदनपत्र पेश कर बताया कि वह दिनांक 30.05.2015 को अपनी बच्ची शीतल जिसकी उम्र 7 वर्ष है को साथ लेकर अपने मायके नाना नगर ग्वालियर गई थी वहाँ पर उसकी लडकी ने उसे बताया

कि उसे गांव में दोआर वाले कमरे में लालबाबा बुलाकर ले गया और कुंदी बंद कर ली और वह नंगा हो गया और उसकी चड्डी उतार दी और गलत बात करने लगा। आरोपी के द्वारा बोला गया कि उक्त बात मम्मी को न बताना। फिर वह कमरे से निकलकर घर आ गई। उक्त बात का पता चलने के बाद उसके पति उसे लिवाने ग्वालियर गए तो उसने लडकी के साथ छेड़छानी की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्रं0 92/15 धारा 354 भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

03. प्रकरण की विवेचना आगे की गई। दौराने विवेचना पीडिता एवं उसके माता पिता के कथन लेखबद्ध किए गए तथा पीडिता का धारा 164 दं.प्र.सं. के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराया गया। इस दौरान अभियोक्त्री के साथ आरोपी के द्वारा बलात्कार एवं लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में साक्ष्य आने पर धारा 376 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र आरोपी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 376(2)(आई)(जे)(एन) भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए व्यक्त किया है कि फरियादिया ग्रीसा के भतीजे शिवम एवं पीडिता को आरोपी ने अश्लील हालत में देख लिया था जिस संबंध में उसने फरियादिया और उसके पति से शिकायत की थी तब उन लोगों ने कहा था कि इस बात को किसी से न कहना, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, इस कारण फरियादिया एवं उसके पति ने फरियादिया के मायके ग्वालियर जाकर योजना बनाई और उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कराई गई है। बचाव में बचाव साक्षी भानुप्रतापसिंह ब0सा0 1, पुत्तूसिंह ब0सा0 2 व हनुमंतसिंह ब0सा0 3 के कथन कराए हैं।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या पीडिता घटना दिनांक को नावालिग थी?

2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 30.05.2015 के 01:15 बजे दिन या उसके करीब ग्राम सिंगवारी में अपने कमरे में फरियादिया/अभियोक्त्री जिसकी कि उम्र 7 वर्ष की होकर नावालिग है एवं जो कि सहमति देने में सक्षम नहीं है, के साथ कई बार बलात्कार किया?
3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक व उसके करीब पीडिता जो कि नावालिग स्त्री के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?
4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक व उसके करीब पीडिता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?

#### —: सकारण निष्कर्ष:—

##### बिन्दु क्रमांक 01 :-

07. वर्तमान प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा0द0सं0 की धाराओं के अतिरिक्त लेगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप है। लेगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत पीडिता की उम्र का तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। घटना जो कि दिनांक 30.05.2015 उसके करीब की होनी बताई गई है। घटना दिनांक को पीडिता की उम्र उसकी माँ फरियादिया ग्रीसा शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा सात वर्ष की होनी बताई है और इसी प्रकार साक्षी रामकुमार अ0सा0 3 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा भी घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र 7 वर्ष की होनी बताई गई है। इस बिन्दु पर उक्त दोनों साक्षीगण का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार इस बिन्दु पर उनके द्वारा किए गए कथन अखण्डनीय रहे हैं। घटना की पीडिता अ0सा0 2 के रूप में न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुई है, न्यायालय के द्वारा भी उसकी उम्र करीब 7 वर्ष की होनी पाई गई है और उसे बाल साक्षी माना गया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन हेतु पीडिता उपस्थित हुई थी और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उसकी अनुमानित उम्र 7 वर्ष की होने का उल्लेख किया है।

08. पीडिता की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा उसके विद्यालय भर्ती रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि को भी प्रमाणित किया गया है जो कि इस संबंध में प्रधानाचार्य मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल जे.पी.एस. कुशवाह अ0सा0 4 के द्वारा भर्ती रजिस्टर अभिलेख के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 15.07.2008 दर्ज होना जो कि भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 5 होना और जिसकी छायाप्रति प्र.पी. 5सी. होना बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बताया है कि दिनांक 25.06.2011 को उनके विद्यालय में उक्त बालिका भर्ती हुई थी और एडमिशन के समय

उसकी जन्मतिथि माता पिता के कहने से लेख की है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

09. इस प्रकार घटना के समय पीडिता की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर पीडिता के माता पिता के कथन जिसकी कि सम्पुष्टि विद्यालय के भर्ती रजिस्टर के आधार पर भी होती है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने पर भी उसे सात वर्ष की उम्र की होना पाया गया है। उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि पीडिता घटना के समय सात वर्ष की थी और इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग होना प्रमाणित पाया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 4:-

10. अभियोजन प्रकरण के संबंध में साक्षिया ग्रीसा अ0सा0 1 जो कि पीडिता की माँ है तथा जिसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि आरोपी ग्राम सिंघवारी में उसके जेठ के मकान में किराए से लगभग दस वर्ष से रह रहा है, जो कि उसके बच्चे मानलपुर फैक्ट्री में काम करते हैं। पीडिता जो कि उसकी बच्ची है। जून के महीने में वह अपने मायके नाना नगर ग्वालियर बच्ची के साथ गई थी। उसके भाई के घर पर उसकी बच्ची/पीडिता और भाई का लडका जो कि करीब 7-8 साल का है दोनों खेल खेल रहे थे जो कि कमरे में नंगे होकर आपत्ति जनक खेल खेल रहे थे उसने कमरे में जाकर देख लिया। साक्षिया के अनुसार जब उसने इस प्रकार से देखा और लडकी से पूछा तो लडकी ने बताया कि इस प्रकार का खेल गांव का लालबाबा उसके साथ करता है जो कि लालबाबा जिस कमरे में वह रहता है उसमें उसे ले जाकर कुंदी बंद कर देता है और नंगा होकर उसकी चड्डी उतारकर उसके ऊपर लेट जाता है। जिस दिन वह अपने मायके गई थी उस दिन भी लाला बाबा के द्वारा लडकी के साथ इस प्रकार का काम किया गया था। लडकी ने उसे यह भी बताया था कि लाल बाबा उससे कहता था कि मम्मी को कोई बात नहीं बताना नहीं तो मम्मी मारेगी और धमकाया था कि ऐसा नहीं बताना। साक्षिया के अनुसार फिर उसने अपने पति को इस बारे में फोन पर बताया था, उसका पति उसे लेने के लिए ग्वालियर गया तब उसने पति को भी इस बारे में बताया। फिर पति के साथ ग्राम सिंघवारी आई और पति व बच्ची को लेकर थाना मालनपुर में रिपोर्ट करने के लिए गई थी। थाने में लिखित रिपोर्ट दी गई थी जो प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लिखी थी जिस पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई थी एवं घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 बनाया था एवं उसकी लडकी को मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन देने के लिए



भी लाए थी।

11. उपरोक्त संबंध में साक्षी रामकुमार अ0सा0 3 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा भी फरियादिया के कथन का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसकी पत्नी अपने मायके ग्वालियर गई थी वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ग्वालियर गया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि आरोपी लाल बाबा कमरे में बच्ची को खेलते समय बुला लेता है और कमरे में कुंदी बंद कर बच्ची को नंगी कर और खुद नंगा होकर बच्ची के ऊपर बैठ जाता है और खेलता है। फिर वह अपने गांव सिंघवारी आए और उसके बाद थाने में लिखित आवेदनपत्र पेश किया जो प्र.पी. 1 है जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. उपरोक्त घटना के संबंध में घटना की पीडिता अ0सा0 2 के द्वारा भी आरोपी की पहचान करते हुए बताया है कि आरोपी उसके पड़ोस का ही रहने वाला है। पीडिता के द्वारा यह भी बताया गया है कि गांव में खेलते समय आरोपी लालबाबा उसे बुला लेता था और कमरे के अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसे नंगा कर देता था और खुद भी अपने कपड़े उतारकर नंगा हो जाता था और नंगा होकर उसके ऊपर बैठ जाता था। ऐसा करते समय वह अपने कमरे की कुंदी अंदर से लगा लेता था। आरोपी लालबाबा उसके साथ इस तरह का काम कई दिनों से कर रहा था। आरोपी ने उससे कहा था कि अपने घर में किसी को बात नहीं बताना, यदि घर में बात बातएगी तो मम्मी मारेगी इस कारण उसने इस बारे में नहीं बताया था। उसकी माँ उसे नाना के यहाँ ग्वालियर ले गई थी। उसके ग्वालियर जाने के पहले भी लाल बाबा ने उसके साथ ऐसा ही काम किया था। वह अपने नाना के यहाँ मामा के लडके के साथ खेल समझकर वैसे ही कर रही थी तो उसकी मम्मी ने देख लिया था। उसने अपनी मम्मी को बताया था कि लालबाबा भी उसके साथ उसे नंगा कर के अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर लेटकर गलत काम करता था। उसके बाद उसके पापा भी आ गए थे और मम्मी पापा उसे थाना मालनपुर ले गए थे, जहाँ घटना के बारे में आवेदनपत्र दिया था जो प्र.पी. 1 है जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो पुलिस ने उसको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया था। वह अपनी मम्मी पापा के साथ कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ भी बयान देने आई थी और वहाँ भी उसने उसके साथ हुई घटना के बारे में बता दिया था।

13. साक्षी शिवसिंह यादव अ0सा0 5 निरीक्षक थाना मालनपुर जिला भिण्ड जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादिया ग्रीसा के बताए अनुसार लेखबद्ध करना और इस आधार पर धारा 354 भा0द0वि0 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध करना बताया है

जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी. 3 तैयार किया था एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 तैयार किया गया था। साक्षीगण ग्रीसा व रामकुमार के कथन लेखबद्ध करना और पीडिता जो कि बालिका थी उसके कथन एस.आई. डिम्पल मौर्य के द्वारा लेखबद्ध करना और डिम्पल मौर्य के उस पर हस्ताक्षरों की पहचान की गई है।

14. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी भानुप्रताप ब0सा0 1, पुत्तूसिंह ब0सा0 2 तथा हनुमंतसिंह ब0सा0 3 के कथन कराए हैं। बचाव साक्षी भानुप्रताप ब0सा0 1 और पुत्तूसिंह ब0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी लाल बाबा ने पीडिता को उसके ताऊ के लडके शिवम के साथ गलत अवस्था में देख लिया था और पीडिता की माँ को इस संबंध में बताया था तो पीडिता की माँ ने आरोपी लाल बाबा से झगडा किया और बदनामी के डर से बचने के लिए मिलकर मालनपुर थाना में आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कराई है। जबकि आरोपी अच्छे आचरण और पूजा पाठ में मगन रहने वाला व्यक्ति है और उसके मोहल्ले वालों से कुछ लेना देना नहीं है और वह बीमारी से ग्रसित रहता है। इस संबंध में साक्षी हनुमंतसिंह अ0सा0 3 जो कि आरोपी का पुत्र है के द्वारा भी यह बताया गया है कि उसके पिता 75 साल की उम्र के हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। पुलिस वालों ने जबरदस्ती उसके पिता को पकड़ लिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी। उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व प्रशासन को उसके पिता को झूठा फंसाए जाने के संबंध में शिकायतें की थी जो प्र.पी. 13 है। फरियादिया ने अपने भतीजे के द्वारा किये जा रहे गलत कृत्य को छिपाने के लिए एवं पुरानी रंजिश से आरोपी को झूठा फंसाया है।

15. प्रकरण में अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों की विश्वसनीयता के संबंध में विचार किया जाना एवं साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

16. घटना के संबंध में अभियोजन साक्षिया/अभियोक्त्री अ0सा0 2 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में साक्षिया ने यह बताया है कि आरोपी लालबाबा जब वह खेलती थी उस समय उसे बुलाता था। इसी कंडिका में साक्षी यह बताया है कि आरोपी उसके साथ बहुत बार नंगा होकर खेल खेलता था जो कि उसके द्वारा 6-7 बार उसके साथ नंगा होकर उक्त कृत्य किया जाना बताया है। साक्षिया ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि लालबाबा बिना कपड़े पहने हुए बाहर घूमता रहता था। कंडिका 4 में साक्षिया के द्वारा यह बताया गया है कि लालबाबा जब उसे कमरे में बंद किया था उस समय दोपहर का समय था। इसी कंडिका में साक्षिया ने बताया है कि उसने अपनी मम्मी को

उसके साथ लालबाबा के द्वारा गंदी बात करने के संबंध में इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि वह उसे धमकी देता था। साक्षिया ने इस सुझाव से साफतौर से इन्कार किया है कि वह न्यायालय में जो बयान दे रही है वह अपनी मम्मी के बताए अनुसार दे रही है, बल्कि स्पष्ट किया है कि वह अपने से बयान दे रही है, इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि लालबाबा ने उसके साथ कभी कोई नंगा होकर खेल नहीं खेला है। शिवम के साथ खेलने और शिवम के द्वारा नंगा होकर गलत काम करने के संबंध में दिये गए सुझाव को साक्षिया ने साफतौर से इन्कार किया है और इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि शिवम को लेकर कोई झगडा उसकी मम्मी पापा का लालबाबा के साथ हुआ था। आरोपी को पीडिता के द्वारा घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा उसके साक्ष्य कथन उपरांत कदापि परिलक्षित नहीं होता है।

17. इस प्रकार घटना की अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके मुख्य परीक्षण कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके मुख्य परीक्षण के कथन अखण्डनीय रहे हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास अथवा बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उसके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता किसी प्रकार से प्रभावित होती हो। अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी को किसी रंजिश के कारण अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो ऐसा भी मानने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है। साक्षिया के द्वारा न्यायालय में जो कथन किए गए हैं, वह स्वभाविक रूप से किया जाना स्पष्ट होता है। अपने माता पिता या किसी अन्य के सिखाने पर उसके द्वारा कथन किये जा रहे हों ऐसा भी कहीं परिलक्षित नहीं होता है।

18. इस प्रकार घटना की अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक अथवा गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि आरोपी लालबाबा के द्वारा उसे अपने कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार करने के तथ्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित हुआ हो। इस बिन्दु पर **राधू वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2007 C.R.L.J. 704** में माननीय सर्वोच्च न्यायाल के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोक्त्री के कथनों में आई हुई छोटी मोटी कमियां और विरोधाभास के आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन को खारिज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार **प्रेमप्रकाश वि० स्टेट ऑफ़ हरियाणा A.I.R. 2011 SC 2677** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि साक्षी के कथनों को पूरा पढा जाना चाहिए, ऐसे विरोधाभास अभियोक्त्री के कथनों को अविश्वसनीय नहीं बनाते हैं, वह तात्त्विक नहीं होते हैं।

19. यद्यपि घटना की अभियोक्त्री 7 वर्ष की उम्र की होकर बाल साक्षी है। इस



संबंध में धारा **118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872** के अनुसार— किसी भी व्यक्ति को सक्षम साक्षी होने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। केवल संबंधित साक्षी का उससे किए गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्तियुक्त उत्तर देने में समर्थ होना देखा जाता है। यदि साक्षी प्रश्नों की प्रकृति को समझने और उनका युक्तिक उत्तर देने में समर्थ है और उसे सिखाए जाने की कोई संभावना नहीं है तो उसकी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है। इस बिन्दु पर **सूर्य नारायण वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक (2001)9 एस.सी.सी. 129** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि साक्षी बाल साक्षी है मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य खारिज नहीं की जा सकती है न्यायालय किसी बाल साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि नियम के रूप में नहीं बल्कि सावधानी के रूप में मान सकती है और एक मात्र बाल साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्ध हो सकती है। **स्टेट ऑफ यू.पी. वि० कृष्णा मास्टर ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 3071** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एक बाल साक्षी तथ्यों को याद नहीं रख सकता ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है। एक बालक असमान्य घटनाओं को जो उसके जीवन में घटित होती है उसे बचे हुए जीवन में कभी नहीं भूलता। एक बालक के मन में किसी के प्रति द्वेष या बुराई नहीं होती है।

20. निश्चित तौर से बलात्कार के मामलों में अभियोक्त्री की स्थिति आहत साक्षी से भी उच्च स्तर की होती है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्टेट ऑफ पंजाब वि० रामदेव (2004)1 SCC 421 एवं पुष्पांजलि साहू वि० स्टेट ऑफ उड़ीसा (2012)9 SCC 705** में यह अभिधारित किया गया है कि अभियोक्त्री जो कि बलात्कार के अपराध की पीडिता है उसकी स्थिति सह अपराधी की नहीं होती है, उसके साक्ष्य पर विचार करते समय साक्ष्य की प्रवलता एवं संभावनाओं के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य की प्रवलता अपराध गठित करने के संबंध में इंगित करता है तो अपराध प्रमाणित माना जा सकता है। बलात्संग के अपराध मात्र किसी महिला के प्रति अपराध न होकर सम्पूर्ण समाज के लिए अपराध है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को अधिक संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए।

21. बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री के साक्ष्य की स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, ऐसे मामलों में यदि अभियोक्त्री के कथन विश्वास योग्य पाए जाते हैं और वह प्रकरण प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है तो उसके साक्ष्य की पुष्टि आवश्यक नहीं होती है। जैसा कि इस संबंध में **स्टेट ऑफ यू.पी. वि० छोटेलाल A.I.R. 2011 SC 679 एवं भूपेन्द्र शर्मा वि० स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश (2003) SCC 551** इस संबंध में उल्लेखनीय है।



22. वर्तमान प्रकरण की अभियोक्त्री अ0सा0 2 के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षिया आरोपी को घटना में झूठा लिप्त करने हेतु कोई हित रखती हो ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता। उसके माता पिता या अन्य किसी रिस्तेदारों के द्वारा सिखाए पढाए जाने पर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध कथन किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई भी आधार अथवा कारण दर्शित नहीं होता है। साक्षिया का न्यायालय में हुआ कथन स्वभाविक रूप से किया गया होना पाया जाता है। इस प्रकार साक्षिया का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है।

23. घटना की अभियोक्त्री के कथन की सम्पुष्टि अभियोजन साक्षी ग्रीसा अ0सा0 1 के कथनों के आधार पर भी होती है जो कि पीडिता की है। साक्षिया को उसकी बच्ची के द्वारा उसके साथ हुई घटना के संबंध में बताया गया। जिसके उपरांत उसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। उक्त साक्षिया के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन तथा उसके न्यायालय में हुए कथन में कोई गंभीर या तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है। यद्यपि साक्षिया के कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस को दिए गए कथन में कतिपय विरोधाभास और लोप आया है, किन्तु वह इस प्रकार की नहीं है जिससे कि साक्षिया के सम्पूर्ण न्यायालयीन कथन प्रतिखण्डित होते हो अथवा उन्हें अविश्वसनीय बनाते हो।

24. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का कि ग्वालियर में उसकी लडकी और उसके भाई का लडका नंगा होकर खेल रहे थे तब उसके देखने पर लडकी के द्वारा उसे पूछने पर उसके साथ हुई घटना के बारे में बताने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख न करने का प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया गया है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद अथवा बनावटी मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का समावेश हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के संबंध में पुलिस को दी गई सूचना होती है और यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का उल्लेख न किया गया है तो इससे कोई विपरीत प्रभाव सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण पर नहीं पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि साक्षिया के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस को दिए गए कथन और न्यायालय में हुए कथनों में लोप या आधिक्य के आधार पर उसके कथन को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है और इस संबंध में कोई प्रतिकूल अवधारणा नहीं की जा सकती है।

25. कंडिका 5 में साक्षिया यह बताई है कि वह अपने मायके गई थी उसके दो दिन बाद उसे लडकी के द्वारा लालबाबा के द्वारा घटना के बारे में बताया था तब दूसरे दिन उसने रिपोर्ट की थी। साक्षिया के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 में स्वभाविक रूप से कथन करते हुए

बताया है कि लालबाबा को कभी किसी के साथ बुरा काम करते हुए अथवा किसी पर बुरी नजर रखते हुए नहीं देखा और न सुना और वह लालबाबा को बाबा के भेश में 15 वर्षों से देख रही है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी को किसी के साथ बुरा काम करते हुए या बुरी नजर रखते हुए साक्षिया के द्वारा नहीं देखा गया है, आरोपी को निर्दोष होने की अवधारणा करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से जो अपराध आरोपी के द्वारा किया जाना बताया जा रहा है वह लैंगिक अपराध है और लैंगिक अपराधों में हमेशा उसे छिपाकर रखे जाने या छिपाने की प्रवृत्ति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि इस प्रकार के अपराध के संबंध में फरियादिया के द्वारा आरोपी को अपराध करते हुए नहीं देखना बता रही है तो इस आधार पर भी कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। साक्षिया ने कंडिका 9 में इस बात से साफतौर से इन्कार किया है कि उसका आरोपी लालबाबा एवं उसके लडकों से किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है। इस सुझाव से भी साफतौर से इन्कार किया है कि उसने अपने भतीजे शिवम एवं अभियोक्त्री को अश्लील हालत में आरोपी लालबाबा ने देखा था और वह किसी से न कहे इसलिए दबाव बनाने के लिए उसने एवं उसके पति ने उसके मायके ग्वालियर में जाकर योजना बनाकर थाना मालनपुर में ए.एस.आई से मिलकर आरोपी लालबाबा के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराकर उसे पकड़वा दिया है तथा इस सुझाव से साफतौर से इन्कार किया है कि उसकी लडकी के साथ आरोपी लालबाबा ने कोई घटना कारित नहीं की।

26. इस प्रकार घटना के फरियादिया/रिपोर्टकर्ता ग्रीसा अ0सा0 1 जो कि पीडिता की माँ है, पीडिता जो कि एक मासूम सात वर्ष की लडकी है उसके साथ आरोपी के द्वारा किये जा रहे लैंगिक कृत्य के संबंध में अभियोक्त्री ने उक्त फरियादिया जो कि उसकी माँ है को जानकारी दी गई जो कि इस संबंध में जानकारी दिए जाने पर स्थिति के संबंध में उक्त साक्षिया के द्वारा किया गया कथन अस्वभाविक अथवा बनावटी होना भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि स्वभाविक रूप से बच्चों के साथ यदि कोई कृत्य यह बताकर किया जा रहा हो कि वह खेल है और स्वभाविक रूप से जब खेल समझकर के वह अपने मामा के लडके के साथ भी उसी प्रकार का कृत्य खेल समझकर कर रही थी और इस दौरान उसकी माँ के द्वारा वर्तमानर अभियोक्त्री को देख लिया गया और माँ के द्वारा पूछे जाने पर आरोपी के द्वारा कहानी के स्वरूप की होनी नहीं कही जा सकती है, बल्कि यह स्वभाविक लगता है। उक्त साक्षिया के द्वारा आरोपी को किसी भी रंजिश के कारण या किसी अन्य कारणों से किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण परलक्षित नहीं होता है।

27. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी रामकुमार अ.सा. 3 जो कि अभियोक्त्री का

पिता है को भी उसकी पत्नी के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है और पत्नी के द्वारा दी गई जानकारी के उपरांत घटना की रिपोर्ट करने के लिए अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर के वह थाना मालनपुर गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने बच्ची को लालबाबा द्वारा खेल के बहाने बुलाकर कमरे में ले जाते हुए कभी नहीं देखा है। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना के बारे में जो बातें वह बता रहा है वह उसकी पत्नी के द्वारा उसे बताए जाने पर बता रहा है। यद्यपि उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और घटना के बारे में उसे उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया है जो कि उसकी पत्नी के द्वारा घटना के बारे में जानकारी होने के पश्चात् तुरन्त अपने पति को बुलाकर उसे अभियोक्त्री के साथ हुई घटना के बारे में बताया गया है और इस आधार पर उसके द्वारा कथन किया गया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास एवं बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना में रंजिशन या किसी अन्य कारण से झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

28. घटना की पीडिता के कथन घटना की रिपोर्ट के पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कराए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथन प्र.पी. 4 में भी पीडिता के द्वारा उसके साथ आरोपी के द्वारा बलात्कार एवं लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में बताया है। इस प्रकार पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन के आधार पर भी पीडिता के साथ घटना घटित होनी सम्पुष्टि होती है।

29. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि— घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है, विलम्ब से रिपोर्ट किए जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में तारीख व समय में काटपीट की गई है। घटना की पीडिता का कोई भी मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया है जिससे कि उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि होती हो अथवा उसके शरीर पर कोई चोट आदि का निशान नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपी का भी कोई मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया है जिससे कि उसके संभोग करने में संक्षम होने की पुष्टि होती हो। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354 भा0द0वि0 तथा धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई है। बलात्कार के अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व है वह भी मौजूद नहीं है। बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में यह आधार लिया गया है कि फरियादिया के भतीजे शिवम एवं पीडिता को आरोपी के द्वारा अश्लील हालत में देखा गया था जिसके संबंध में

30. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354 भा0द0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई है और प्रकरण में धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध को गठित करने अथवा धारा 3/4 और 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की परिधि में अपराध नहीं आता है। इस संबंध में धारा 375 भा0द0वि0 के अंतर्गत बलात्संग को परिभाषित किया गया है जो कि उक्त धारा किमिनल लॉ (एमेंडमेंट)एक्ट 2013 के अनुसार संशोधन किया गया है जो दिनांक 03.02.2013 से प्रभावशील हुआ है। उक्त संशोधित धारा के अनुसार पूर्व में बलात्संग की परिभाषा को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया है। उक्त संशोधित धारा 375 के अनुसार – **बलात्संग**— यदि कोई पुरुष,—

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रवृष्टि करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

(घ) तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है—

पहला:-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

तीसरा:-x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

चौथा:- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

पांचवा:-x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

छटवा:-उस स्त्री की सम्मति से या उसकी अनुमति के बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो।

सातवाः—जब वह स्त्री सम्मति देने में असमर्थ हो।



31. इस प्रकार उक्त संशोधन के उपरान्त बलात्संग की परिभाषा में पूर्ववर्ती परिभाषा में पूर्णतः परिवर्तन हो गया है और वर्तमान में यह आवश्यक नहीं है कि पीडिता के साथ प्रवेशन कर मैथुन किया गया हो। ऐसी दशा में जबकि वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पीडिता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए 164 दं.प्र.सं. के कथन में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख आया है कि आरोपी पीडिता को कमरे में ले जाकर के और कमरे को बंद कर पीडिता के कपड़े उतार देता था और वह अपने कपड़े भी उतार देता था और उस पर बैठ जाता था। इस संबंध में पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से इस आशय का कथन अपने साक्ष्य के दौरान भी किया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुआ है। निश्चित तौर से प्रकरण में आई हुई साक्ष्य जिसके अनुसार आरोपी जो कि स्वयं भी नंगा हो जाता था एवं पीडिता को भी नंगा कर उसके ऊपर बैठने का कृत्य बलात्संग की परिधि में आता है। इस संबंध में मात्र इस आधार पर कि मैथुन करने में सक्षम होने बावत् आरोपी का कोई भी परीक्षण नहीं कराया गया है, इस तथ्य को प्रतिकूलित मानने का कोई भी आधार नहीं हो सकता है।

32. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी बातों का समावेश नहीं किया गया है और बाद में कहानी को अभियोजन के द्वारा बढ़ाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें सभी बातों का समावेश किया जाए, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के संबंध में दी गई सूचना होती है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का वर्णन न भी किया गया है तो मात्र इस आधार पर जबतक कि इस संबंध में कोई तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास या बिसंगति नहीं आई हो वह अभियोजन प्रकरण के लिए घातक नहीं मानी जा सकती।

33. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है जिससे कि अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। बलात्कार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराना अस्वभाविक नहीं है। इस प्रकार की घटना बताने में पीडिता अनिच्छुक रहती है। बलात्कार के मामलों में विलम्ब होना अस्वभाविक भी नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सतपाल सिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2010)8 SCC 714** एवं **सोहनसिंह वि० स्टेट ऑफ विहार (2010)1 SCC 68** उल्लेखनीय है जिनमें अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से होना एक सामान्य बात है। इस प्रकार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज होना घातक नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण की पीडिता जो कि सात वर्ष की

बालिका है जो कि उसके साथ हो रहे कृत्य को यद्यपि जान रही थी, किन्तु उसे वह खेल समझकर एवं आरोपी के द्वारा धमकी देने के कारण अपने माता पिता को नहीं बता पा रही थी एवं प्रकरण की परिस्थितियों में उसकी माँ को इस संबंध में पता चला था और उसे पता चलने के बाद उसके द्वारा अपने पति को बुलाया गया और तब जाकर थाने में रिपोर्ट की है। इस संबंध में यदि रिपोर्ट थाना में दर्ज कराने में कुछ विलम्ब हुआ भी है तो वह उक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण की विश्वसनियता प्रभावित नहीं करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तारीख और समय में काटपीट का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि कुछ काटपीट या ओवर राइटिंग प्रथम सूचना रिपोर्ट में की गई है यह भी सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं अभियोजन प्रकरण को प्रतिकूलित मानने का आधार नहीं हो सकता है।

34. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि पीडिता का कोई मेडीकल परीक्षण नहीं हुआ है इस कारण उसके साथ कोई बलात्कार होने या उसके शरीर पर कोई क्षति होनी नहीं पाई गई है, इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **2014(11) एम.पी.एडब्ल्यू.एन. नोट 126 मूलचंद वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. 2015 एवं (1) एम.पी.एडब्ल्यू.एन. नोट 78 भागीरथ वि0 स्टेट ऑफ एम.पी.** पेश किया गया है।

35. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पीडिता का मेडीकल परीक्षण न कराने का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि पीडिता का कोई मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया है, बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए शरीर पर चोट होना अनिवार्य तत्व नहीं है। जैसा कि इस संबंध में **दस्तगीर शाह वि0 स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 छोटे लाल 2011 ए.आई.आर. एस.सी. 697** में अभिधारित किया गया है। वर्तमान में धारा 375 भा0द0वि0 में हुए संशोधन में बलात्कार की जो परिभाषा में परिवर्तन हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में भी बलात्कार के प्रकरण में पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक भी नहीं है। ऐसी दशा में जबकि अभियोजन प्रकरण के संबंध में अन्य साक्ष्य मौजूद है, मात्र इस आधार पर कि पीडिता का मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया है प्रकरण की प्रमाणिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

36. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में लिए गए आधार के संबंध में प्रस्तुत साक्षियों में भानुप्रताप ब0सा0 1, पुत्तूसिंह ब0सा0 2 के द्वारा अपने कथन में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि पीडिता को उसके ताऊ के लडके शिवम के साथ गलत अवस्था में आरोपी लालबाबा के द्वारा देख लिया गया था और उसने उन दोनों से उनके घर वालों को बता देने के संबंध में कहा था और पीडिता की माँ से भी उक्त बात बताई थी और इसी बात को लेकर पीडिता की माँ ने आरोपी से झगडा किया था और बदनामी के डर से थाना मालनपुर में रिपोर्ट लिखा दी

थी।

37. उक्त बचाव साक्षियों के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उनके द्वारा पूर्व में पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर के आरोपी को झूठा लिप्त किया जा रहा है ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। वह न्यायालय में आरोपी के द्वारा स्वयं लाए गए हैं, उनके कथन बचाव पक्ष की ओर से लिए गए आधारों के संबंध में बाद में सोच समझकर कथन किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी दशा में उक्त बचाव साक्षियों के कथनों के आधार पर जबकि घटना में पीड़िता के द्वारा आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने हेतु कोई भी आधार होना दर्शित नहीं होता है। आरोपी को बचाने के उद्देश्य से साक्षियों के द्वारा बचाव में कथन किया जाना परिलक्षित होता है और इसी कारण उनके द्वारा आरोपी के अच्छा चरित्र होने के संबंध में साक्ष्य दिया जाना परिलक्षित होता है।

38. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी हनुमंतसिंह जो कि आरोपी का पुत्र है के द्वारा यह बताया गया है कि उसके पिता को पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़कर थाने ले गये थे और मारपीट कर पुलिस के ए.एस.आई के द्वारा जुर्म कुबूल कराया गया था। इस संबंध में पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके द्वारा शिकायतों की गई थी जिस संबंध में शिकायतों की प्रति प्र.डी. 2 लगायत प्र.डी. 8 व पोस्टल रसीद प्र.डी. 9 लगायत प्र.डी. 13 पेश करना बताया है। उक्त साक्षी जो कि आरोपी का पुत्र है के द्वारा उसके पिता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायतों की गई है, किन्तु स्वभाविक रूप से उक्त साक्षी जो कि आरोपी का पुत्र है अपने पिता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत उसके द्वारा उक्त शिकायतों की जानी दर्शित होती है। शिकायतों की जाँच के उपरांत उसमें वर्णित तथ्य सत्य पाया गये हों ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। साक्षी के द्वारा पुलिस ने उसके पिता के साथ जबरदस्ती मारपीट कर जुर्म स्वीकार करने के बारे में कहा जा रहा है, किन्तु ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि आरोपी से मारपीट कर उससे जुर्म कुबूल कराया गया है। ऐसी दशा में उक्त बचाव साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

39. आरोपी लालबाबा पर धारा 376(2)(आई)(जे)(एन) भा0दं0वि0 के अतिरिक्त धारा 3/4 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप है, इस संबंध में धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान भी उल्लेखनीय है। उक्त अधिनियम की धारा 29 इस आशय का प्रावधान करती है कि यदि उक्त अधिनियम की धारा 3, 5, 7, 9 का अपराध करने अथवा अपराध का दुष्प्रेरण करने के संबंध में अभियोग चल रहा है तथा विशेष न्यायालय यह अवधारणा करेगी कि उस व्यक्ति के द्वारा भी

अपराध किया गया है अथवा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है जबतक कि अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा करने के संबंध में प्रावधान करता है और आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाना प्रावधानिक करता है तथा बचाव पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी इस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं थी। बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी इस तथ्य को प्रतिखण्डित नहीं कराया जा सका है। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ही आरोपी लालबाबा के द्वारा लैंगिक हमला या गुरुतर लैंगिक हमला करने के संबंध में उस पर लगाए गए अभियोग एवं इस संबंध में अपराध घटित करने के संबंध में उसकी मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा की जाएगी तथा उसके द्वारा अभियोक्त्री जो कि 7 वर्ष की बालिका है के साथ अपने कमरे के अंदर बलात्कार करने और उस पर लैंगिक हमला तथा गुरुतर लैंगिक हमला किया जाना प्रमाणित है।

40. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक 03.05.2015 को एवं उसके आसपास ग्राम सिंगवारी थाना मालनपुर में आरोपी लखपति सिंह उर्फ लालबाबा के द्वारा पीडिता जो कि सात वर्ष की नावालिग है तथा जो सम्मति देने में भी सक्षम नहीं है के साथ बलात्संग की घटना की गई जो कि उसके द्वारा कई बार उक्त कृत्य पीडिता के साथ किया गया तथा आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री नावालिग महिला जो कि 07 साल की उम्र की थी और सम्मति देने में भी सक्षम नहीं थी उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया जाना प्रमाणित है।

41. तदनुसार आरोपी लखपतसिंह उर्फ लालबाबा को धारा 376(2)(I), 376(2)(J), 376(2)(N) भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

42. दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला— भिण्ड (म0प्र0)

पुनश्चयः—

43. दंड के प्रश्न पर आरोपी लखपतसिंह उर्फ लालबाबा के विद्वान अधिवक्ता को



सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है, उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है, आरोपी 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो कि स्वांश की बीमारी से ग्रस्त है एवं चलने फिरने में भी असमर्थ है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध गंभीर प्रकार का है। ऐसी दशा में विधि द्वारा प्रावधानिक अधिकतम दंड आरोपी को प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

44. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी लालबाबा के विरुद्ध धारा 376(2)(I), 376(2)(J), 376(2)(N) भा०दं०वि० के अतिरिक्त धारा 3/4 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। उपरोक्त अपराध सामान्य श्रेणी का नहीं है, बल्कि यह इस प्रकार का अपराध जो कि पूरे समाज को एवं समाज की नैतिकता को प्रभावित करता है। ऐसी दशा में इस प्रकार के अपराधों में अपराध के आनुपातिक दंड दिया जाना अपेक्षित है।

45. दंड के संबंध में धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम जो कि वैकल्पिक दंड के संबंध में प्रावधान करता है जिसके अनुसार – जहाँ कोई अपराध लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भारतीय दंड विधान की अन्य धाराओं जिनमें धारा 376 भा०दं०वि० भी शामिल है के अधीन दण्डनीय कोई अपराध घटित करता है तो आरोपी के ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कोई बात होते हुए भी आरोपी उनमें से भी दंड के लिए जो कि गुरुतर है दायी होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी जिसके विरुद्ध कि धारा 376(2)(I), 376(2)(J), 376(2)(N) भा०दं०वि० के अंतर्गत तथा धारा 3/4 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दोषसिद्ध होनी पाई गई है। धारा 376(2) भा०दं०वि० के अंतर्गत तथा धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दोनों में कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा का प्रावधान किया गया है। किन्तु इस संबंध में धारा 376(2) भा०दं०वि० के दंड के प्रावधान आजीवन कारावास जो कि शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए प्रावधानिक किया गया है। निश्चित तौर से भारतीय दंड विधान का प्रावधान गुरुतर दंड है एवं आरोपी को धारा 376(2) भा०दं०वि० के अंतर्गत दंडित किया जाना उचित होगा।

46. तदनुसार उक्त वैधानिक प्रावधान को देखते हुए एवं धारा 71 भारतीय दंड विधान के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी लखपतसिंह उर्फ लालबाबा को धारा

376(2)(i), 376(2)(j), 376(2)(N) भा०दं०वि० के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 7,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

47. आरोपी के द्वारा प्रकरण की जाँच, अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

48. आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 7,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप अभियोक्ता/पीडिता को जरिए संरक्षक प्रदान किए जाए।

49. अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)